



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 420

13 Bhadra, 1942 (S)

Ranchi, Friday, 4th September, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 58/2020 – State Tax

S.O. No. 76, Dated 04th September, 2020- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall be deemed to be effective from 1st July, 2020.
2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), for the rule 67A, the following rule shall be substituted, namely:-

“67A. Manner of furnishing of return or details of outward supplies by short messaging service facility.- Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in **FORM GSTR-3B** or a Nil details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include

furnishing of the said return or the details of outward supplies through a short messaging service using the registered mobile number and the said return or the details of outward supplies shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

Explanation. - For the purpose of this rule, a Nil return or Nil details of outward supplies shall mean a return under section 39 or details of outward supplies under section 37, for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in **FORM GSTR-3B or FORM GSTR-1**, as the case may be.”.

[File.No Va Kar / GST / 01/ 2020]

By the order of the Governor of Jharkhand

Vandana Dadel,
Secretary, Commercial taxes Department

Note: The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 28-State Tax, dated the 20th June, 2017, published and last amended vide notification No. 50/2020 - State Tax, dated the 04th September, 2020, published vide S.O. No. 68, dated the 04th September, 2020.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 58/2020- राज्य कर

एस. ओ. सं. 76, दिनांक 04 सितम्बर, 2020- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, झारखण्ड माल और सेवाकर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवाकर (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 है।
- (2) ये 1 जुलाई 2020 से प्रवृत्त होंगे।
2. झारखण्ड माल और सेवाकर नियमावली, 2017(जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 67क के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“67क. लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी या जावक आपूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रबंध - इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में जिसे धारा 39 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में किसी कर अवधि की ‘शून्य’ विवरणी भरना अपेक्षित हो या जिसका धारा 37 अंतर्गत के प्ररूप जीएसटीआर-1 में किसी कर अवधि का जावक आपूर्तियों का ब्यौरा शून्य हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणीया जावक आपूर्तियों का ब्यौरा को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त विवरणी या जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित ‘वन टाइम पासवर्ड’ की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, ‘शून्य’ विवरणी या शून्य जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का मतलब, किसी कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन कोई ऐसी विवरणी है या धारा 37 के अधीन कोई ऐसी जावक आपूर्तियों का ब्यौरा है, जिसमें प्ररूप जीएसटीआर-3ख या प्ररूप जीएसटीआर-1 की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रवृष्टि ना हो, जैसी भी स्थिति हो।”

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

वंदना दादेल,
सचिव, वाणिज्य-कर विभाग

टिप्पण: मूल नियमावली एस. ओ. सं. 28, तारीख 20 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना राज्य कर के द्वारा झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किये गए और एस. ओ. सं. 68, तारीख 04 सितम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 50/2020- राज्य कर, तारीख 04 सितम्बर, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।